

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/46/24/782
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/9/14

संयुक्त/उप संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय(समस्त)

विषय :- पुराने प्रांगण के उपयोग के संबंध में।


संदर्भ :- प्रबंध संचालक महोदय का पत्र क०/मंडी/प्रांगण/विविध/46/24/
746-47 दिनांक 22/08/14

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। अधिकांश मंडी समितियों पुराने प्रांगण से नये प्रांगण में स्थानांतरित हो गई हैं। अतः पुराने प्रांगण में अतिक्रमण होने एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रांगण का उपयोग किया जा रहा है जिससे मंडी समिति को कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

आपके संभाग अंतर्गत जहाँ-जहाँ पुराने प्रांगण से नवीन मंडी प्रांगण में मंडी समितियों स्थानांतरित हो गई है एवं पुराने प्रांगण का मंडी समिति द्वारा कोई उपयोग/कार्य योजना हो तो कार्ययोजना की स्थिति चाही गई थी एवं प्रांगण का उपयोग नहीं हो रहा हो तो प्रांगण की भूमि/भवन का कलेक्टर दर पर मूल्यांकन कराकर कुल मूल्य की जानकारी तत्काल चाही गई थी, जो अपेक्षित है।


अतः प्रकरण को प्राथमिकता देते हुए उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन दिनांक 15/9/14 तक अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें, ताकि वस्तुस्थिति से प्रबंध संचालक महोदय को अवगत कराया जा सके।


अपर संचालक(प्रांगण)
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./मंडी/प्रांगण/विविध/46/24/783
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 03/9/14

कार्यपालन यंत्री, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....
(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में भेजा जाना सुनिश्चित करें।


अपर संचालक(प्रांगण),
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल